श्री दुनी चंद राणा (भा०प्र०से०) जिलाधीश जिला चम्बा की अध्यक्षता में दिनांक 24/10/2020 को 11:00 बजे राजस्व अधिकारियो के साथ हुई बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री मुकेश रेपस्वाल (भा०प्र०से०) अतिरिक्त जिलाधीश जिला चम्बा
2. श्री शुभम प्रताप सिंह (भा.प्र.से.) उप मण्डल अधिकारी (ना.) चंबा
3. श्रीमति किरन भड़ाना (भा.प्र.से.) उप मण्डल अधिकारी (ना.) सलूनी
4. श्री मनीष चौधरी उप मण्डल अधिकारी (ना.) चुराह
5. श्री जगन ठाकुर उप मण्डल अधिकारी (ना.) डलहौज़ी
6. श्री बच्चन सिंह उपमंडल अधिकारी (ना) भटियात
7. श्री मनीष सोनी उपमंडल अधिकारी (ना.) भरमौर
8. श्री सरताज सिंह पठानिया तहसीलदार भटियात
9. श्री सुनील कुमार कायथ जिला राजस्व अधिकारी जिला चंबा
10. श्री रविन्द्र शर्मा नायव सदर कानूनगो
11. श्रीमती बबिता ठाकुर पटवारी सदर कानूनगो शाखा चंबा

सर्व प्रथम अतरिक्त उपायुक्त महोदय जिला चंबा द्वारा उपायुक्त महोदय व वैठक में उपस्थित अन्य जिला अधिकारीगण का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही आरम्भ हुई।

1 राजस्व न्यायालयों से सम्वन्धित मामलेः-

उपमण्डलाधिकारी (0ना)से सम्वन्धित मामले

उपमडल अधिकारी (ना.) से सम्बन्धित मामलो की समीक्षा करने उपरांत जिला से सम्बन्धित समस्त उपमंडलो , तहसीलों /उपतहसीलों में बकाया मामलो वारे अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया है | समीक्षा उपरांत पाया गया कि कुछ मामले दो वर्ष से अधिक अवधि से बकाया है|

अध्यक्ष महोदय ने बकाया मामलो विशेषकर दो बर्ष से अधिक अवधि से लम्बित मामलो को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए | इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारियो को ये निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का निष्पादन (Disposal) नव सृजित मामलो (New institution) से ज्यादा होना चाहिए |इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपमंडल स्तर पर बकाया 107/150 के केस व् तहसीलों /उपतहसीलों में बकाया इंतकाल , तकसीम , बेदखली , निशानदेही के मामलो को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश जारी किये ताकि अगली बार इसकी विस्तारपूर्वक समीक्षा की जा सके | अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किये कि वे अपने अधीन मामलो को RCMS पोर्टल पर अपडेट करे ताकि जिला स्तर पर निगरानी की जा सके | इसके लिए RCMS के अंतर्गत लाग इन आई. डी. उपलव्ध करवाई जा चुकी है |

2. दाखला जमाबन्दी -:

इस मद पर चर्चा उपरांत पाया गया कि समस्त तहसीलों /उपतहसीलों में बर्ष 2015-16 की जमाबन्दी भी दाखिला हेतु बकाया में है |

उपायुक्त महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकरियो को कड़े निर्देश दिए की 2019-20 तक की सभी बकाया जमाबन्दी को शीघ्र जिला अभिलेख कक्ष में दाखिल करवाये , इसके अतिरिक्त उपायुक्त महोदय द्वारा ये भी कहा गया कि जब तक जमाबन्दी को अपडेट नही करेंगे तब तक NGDRS व E-Him Bhumi का कोई औचित्य नही रहेगा |

3. E-Him Bhumi सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में :-

इस मद पर चर्चा उपरांत पाया गया कि उपतहसील पुखरी ककीरा में, भलेई ,E-Him सॉफ्टवेयर से कार्य शुरू किया जा चुका है इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारियो को ये निर्देश दिए की वे जल्द से जल्द बकाया मामलो को खत्म करके इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम शुरू करे इस सम्बन्ध में अगर कोई समस्या आ रही है तो जिला सूचना अध |िकारी से सम्पर्क करे |

4. NGDRS के सम्बन्ध में :-

इस मद पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा ये निर्देश दिए कि NGDRS की डेमो साईट पर निरंतर अभ्यास जारी रखे क्योंकि सरकार इसे जल्द ही तहसीलों उपतहसीलों में शुरू करने जा रही | अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो लिखित अवगत करवाए क्योंकि भविष्य में रजिस्ट्रेशन इसी माध्यम से शुरू होगा |

5. 3/2 बिस्वा के सम्बन्ध में -:

इस मद पर चर्चा उपरांत उपायुक्त महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारियो को ये निर्देश दिए की वे अपने स्तर पर जांच के लिए बकाया मामलो का शीघ्र निष्पादन करे और योग्य मामलों के सम्बन्ध में FCA के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की 2009 की नीति अनुसार कार्य करे |

6. पटवारखाना कानूनगो भवन /राजस्व सदन के सम्बन्ध -:

इस मद पर चर्चा उपरांत उपायुक्त महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारी को ये निर्देश दिए की बिभिन्न भवनों के निर्माण कार्य व् मुरम्मत कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाये और शीघ्र अति शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र व् प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करे |

7. पी.एम्.किसान योजना के सम्बन्ध में -:

इस मद पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को

ये निर्देश दिए कि पी. एम्. किसान योजना के सम्बन्ध में जारी किये गये नये दिशा निर्देश अनुसार कार्य पूर्ण करे तथा सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों अनुसार अयोग्य /अपात्र व्यक्तियों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जारी की गयी राशि को सरकार के खाते में वापिस जमा करवाने की प्रक्रिया अम्ल में लाए |

8. E-Distt के सम्बन्ध में

इस मद पर चर्चा उपरान्त उपायुक्त महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारी को ये निर्देश दिए कि E-Distt.के माध्यम से कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी बकाया मामलो को अपडेट करे और कोई भी मामला दो -तीन दिन से ज्यादा बकाया में नही होना चाहिए |

9. Relief के सम्बन्ध में :-

इस मद पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा ये निर्देश दिए की सभी प्रकार के फंड का उपयोग राहत नियमावली के अनुसार शीघ्र किया जाये |

10 . सामान्य निर्देश

अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त राजस्व अधिकारियों को कोविड -19 से सम्बन्धित सरकार की हिदायतो का पालन करते हुए अपने कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने और कोरोना से लड़ने में प्रसाशन की जिम्मेबारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए | इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारी (ना.) को ये निर्देश जारी किये की कोविड -19 का निरंतर निरीक्षण करे और साथ ही आई. ई सी. अभियान चलाये | इसके अतिरिक्त आने वाले त्योहारों और शादियों में कोविड -19 की हिदायतो का पालन करवाने में अपनी जिम्मेवारी सुनिशिचित करे |

प्लास्टिक कचरा प्रवंधन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपमंडल अधिकारी (ना.) को ये निर्देश जारी किये की वे बाई बेक पोलिसी का अनुसरण करते हुए 75 रु.प्रति किलो के हिसाब से कचरा खरीद कर उसका सडक निर्माण में उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित करे |

आपदा प्रवंधन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने समस्त उपमंडल अधिकारी (ना.) जिला चंबा को निर्देशित किया कि ग्रामीण स्तर पर 10-15 स्वयं सेवको का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाये ताकि आपदा के समय उक्त स्वयं सेवक स्थानीय स्तर पर राहत एबं बचाव कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर सके | समस्त खंड विकास अधिकारीगण को भवन निर्माण से सम्बन्धित कारीगरों को चिन्हित करने उपरांत छः दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गये ताकि भूकम्प रोधी भवन निर्माण तकनीक से निर्माण सुनिशिचित किया जा सके | प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों के दैनिक भत्ते व् खाने आदि में होने वाले खर्च को DDMA के बजट से वहन करने के भी निर्देश दिए गये |

इसके अतिरिक्त अंत में वैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव सहित समाप्त हुई ।

अतिरिक्त उपायुक्त
चम्बा जिला चम्बा

पृष्ठाकन सख्या सी.बी.ए.-एस.के.(आर.ओ.मीटिंग)/2018 - 4236-57 दिनांक चम्बा 28 अक्टूबर 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः-

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) हि0 प्र0 सरकार।
2 मण्डलायुक्त कांगडा मण्डल स्थित धर्मशाला।
3 निदेशक भू-अभिलेख शिमला हि0 प्र0।
4 आवासीय आयुक्त पान्गी।
5 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी चम्बा व भरमौर
6 सहायक आयुक्त, उपायुक्त चम्बा।
7 समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0) जिला चम्बा
8 समस्त तहसीलदार/ नायव तहसीलदार जिला चम्बा।
9 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी चम्बा जिला चम्बा ।

अतिरिक्त उपायुक्त
चम्बा जिला चम्बा